झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम(बजट)-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- 05 फाल्गुन, 1937 (श0) / 24 फरवरी, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
45	अ0सू0-13	श्री राधाकृष्ण किशोर	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	10.02.16
46	अ0सू0-11	श्री बिरंची नारायण	नगर पालिका का गठन	नगर विकास	10.02.16
47	अ0सू0-14	श्री राम कुमार पाहन	कार्य को पूर्ण कराना	पथ निर्माण	14.02.16
48	अ0सू0-07	श्री बिरंची नारायण	दुकानदारों को व्यवस्थित करना	नगर विकास	10.02.16
49	अ0सू0-12	श्री राधाकृष्ण किशोर	योजना को पूर्ण करना	ग्रामीण विकास	10.02.16

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

राँची
दिनांक-24 फरवरी, 2016 ई0।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-1360/वि0स0, राँची, दिनांक-22 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.16

(अनिल कुमार)
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-...1360.../वि0स0, राँची, दिनांक-22 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-...1360.../वि0स0, राँची, दिनांक-22 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

दुर्गा
20.02.16

एक्का/-

(95)

मा0, स0वि0स0, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 24.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राँची–डालटनगंज–पड़वा NH-75 तथा पड़वा–छत्तरपुर–हरिहरगंज NH-98 पथ औरंगाबाद (बिहार) के NH-2 से जोड़ता है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि राँची–डालटनगंज–हरिहरगंज पथ उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य को झारखण्ड की राजधानी राँची से जोड़ने वाला प्रमुख राजमार्ग है ;	स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राँची–डालटनगंज–हरिहरगंज पथ को फोर लेन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राँची से कुडू NH-75 के 55 कि0मी0 फोर लेन का डी0पी0आर0 सड़क परिवहन, एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है । NH-75 के शेष 205 कि0मी0 के पथांश के चौड़ीकरण का डी0पी0आर0 निर्माण प्रक्रियाधीन है। NH-98 के पड़वा मोड़ से हरिहरगंज के चौड़ीकरण का डी0पी0आर0 निर्माण प्रक्रियाधीन है। डी0पी0आर0 निर्माण के उपरांत सड़क परिवहन, एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2016 1207(S) राँची/दिनांक : 22/2/1

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 284 दिनांक 10.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/02/16

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2016 1207(S) राँची/दिनांक : 22/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/02/16

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(2) 46.

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–24.02.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में राज्य सलाहकार समिति, स्थापना अंकेक्षण आयोग, नगर निकाय में स्वतंत्र कैडर, नगर निकायों में चैम्बर का गठन एवं लोकपाल की नियुक्ति, जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब तक नहीं हो पायें है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–64 में निहित प्रावधान के तहत् विभागीय अधिसूचना सं0–346, दिनांक–28.01.14 द्वारा नगरपालिका लोकपाल की शक्तियाँ और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपी गयी है। नगर निकाय के स्वतंत्र कैडर के निर्माण हेतु अधिसूचना सं0–3330, दिनांक–17.07.14 द्वारा नियमावली गठित कर दिया गया है। नगरपालिका अंकेक्षण आयोग के गठन हेतु **"झारखंड नगरपालिका अंकेक्षण आयोग का गठन, कार्य–पद्धति का निर्धारण नियमावली–2016"** का विहित प्रक्रियानुसार मूर्त्त रूप दिया जा रहा है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–50 के तहत् नगर निकायों में **"स्टेट चैम्बर ऑफ कौंसिल्स"** का गठन योजना सह वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत पदों में 66 फीसदी पद अब तक रिक्त है ;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि संविधान में 74वें संशोधन के आलोक में सरकार राज्य में नगर निकायों को सशक्त बनाना चाहती है ;	स्वीकारात्मक है। संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में नगर निकायों की सशक्त बनाये जाने क उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा झारखंड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा–70 के तहत् नगर निकायों को शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है।
4	यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अनुपालनार्थ उक्त लंबित पड़े कार्यों को करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–8 / अल्पसूचित / 101 / 2016 न०वि०......959......... / राँची, दिनांक– 22/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–244, दिनांक–10.02.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/02/16
सरकार के उप सचिव।

मा0, स0वि0स0, श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 24.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 14 का उत्तर प्रतिवेदन :– (B) 47

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत रिंग रोड, राँची के फेज वन करमा (विकास) से टाटीसिलवे होकर रामपुर (सिदरौल) तक जिसकी लम्बाई 19 KM है पर करीब 3 वर्षों से काम बंद है ;	अस्वीकारात्मक । उल्लेखनीय है कि रिंग रोड सेक्शन I & II के आरेखन को ही राँची बाईपास हेतु NHAI द्वारा अपनाया गया है । पथ में भू–अर्जन एवं निर्माण कार्य जारी है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त रिंग रोड के निर्माण हेतु कार्य को अधूरा छोड़ देने से लोगों को परेशानी हो रही है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है । पथ को अधूरा नहीं छोड़ा गया है । क्रमांक 1 के अनुसार आवश्यक कार्य चालू है।
3. क्या यह बात सही है कि फेज वन पूरा हो जाने से टाटा–राँची–हजारीबाग मार्ग पर चलने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं होगी और शहर पर ट्रैफिक दबाव काफी कम हो जायेगा ;	स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फेज वन के बंद पड़े कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा जनवरी 2016 में रांची रिंग रोड फेज I के अन्तर्गत आने वाले 11 कि0मी0 भूमि उपलब्ध कराया गया है तद्नुसार निर्माणकर्त्ता को कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया है । निर्माणकर्त्ता के द्वारा समर्पित संशोधित निर्माण की योजना के अनुसार मई 2017 तक कार्य पूर्ण किया जाना है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02 / 2016 1197(S) राँची / दिनांक : 22/2/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 763 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0/- 22.02.16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02 / 2016 1197(S) राँची / दिनांक : 22/2/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0/- 22.02.16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(48)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–24.02.2016 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–07 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत पूरे राज्य में फुटपाथ दुकानदारों की समस्या ने एक विकराल समस्या का रूप ले लिया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में फुटपाथ दुकानदारों की व्यवस्थित व्यवस्था करने से वहाँ के छोटे दुकानदारों को लाभ होगा और वहाँ की जनता को एक ही स्थान पर सामानों की खरीदारी करने की सुविधा प्राप्त होगी;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो समेत पूरे राज्य के फुटपाथ दुकानदारों के जीविकोपार्जन हेतु इनको व्यवस्थित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) अन्तर्गत चास (बोकारो) सहित 28 नगर निकायों में शहरी पथ विक्रेताओं /फेरीवालों को चिन्हित करने वेंडिंग प्लान तैयार करने एवं वेंडिंग जोन चिन्हित करने हेतु परामर्शी एजेन्सीयों का चयन किया गया है। चयनित एजेन्सीयों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं/फेरीवालों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। NULM के दिशा–निर्देश के अनुसार चिन्हित शहरी पथ विक्रेताओं/फेरीवालों को पहचान पत्र, प्रमाण–पत्र एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05/न०वि०/अल्पसूचित–11/2016.....909..... राँची, दिनांक– ...18/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–245/वि०स० दिनांक–10.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/2/16
सरकार के उप सचिव।

49

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 24.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–12 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न–कर्ता – श्री राधा कृष्ण किशोर , माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत् झारखण्ड राज्य में वर्ष 2013–14 में 196501 तथा वर्ष 2014–15 में 183269 योजनाएँ अर्थात कुल – 379770 योजनाएँ ली गई थी;	• आंशिक स्वीकारात्मक। • महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत् वर्ष 2013–14 तक ली गयी कुल योजना 5 लाख 13 हजार 01 के विरूद्ध 04 लाख 72 हजार 08 सौ 71 योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी है तथा अभी भी 40 हजार 01 सौ 30 योजनाएँ अपूर्ण है। • वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 60 हजार 06 सौ 88 नई योजनाएँ ली गयीं। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक ली गयी कुल योजना – 05 लाख 73 हजार 06 सौ 89 के विरूद्ध 04 लाख 94 हजार 03 सौ 12 योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा 79 हजार 03 सौ 77 योजनाएँ अपूर्ण है।
2. क्या यह बात सही है वर्ष 2013–14 में 133043 तथा 2014 –15 में 123304 अर्थात कुल 256347 योजनाएँ अपूर्ण है;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अपूर्ण योजनाओं को कबतक पूरा कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मनरेगा के अन्तर्गत् लम्बित योजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग प्रयत्नशील है। प्रतिदिन विभाग स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। जिला के उपायुक्तों के साथ भी बैठक एवं Video Conferencing के माध्यम से स्थिति में सुधार लाने के लिये निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–304/(वि0 स0)/2016/ग्रा0 वि0 – (N)383 राँची, दिनांक 23-2-2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 252 दिनांक 10.02.2016 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/2/16

(रतन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Rajesh\LETTER\Bijay Besra\Vidhan Sabha Report\Q&A\11-304-Vidhan Sabha-2016.doc

ज्ञापांक – 11–304 / (वि0 स0) / 2016 / ग्रा0 वि0 – (N) 383 राँची, दिनांक 23-2-2016

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/2/16

सरकार के अवर सचिव।

D:\Rajesh\LETTER\Bijay Besra\Vidhan Sabha Report\Q&A\11-304-Vidhan Sabha-2016.doc